झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक– 3/पी०एम०सी०/कार्य/193/2017........42/18.1959.स्वी......... राँची, दिनांक–24.12.2018

प्रेषक:

राजेश कुमार वर्मा,
सरकार के अपर सचिव,

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड,
पो॰–हिनू, राँची।

द्वारा: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत केन्द्र प्रायोजित योजना – "सिंचाई गणना" के तहत "षष्टम् लघु सिंचाई योजना का गणना कार्य" एवं "जल निकायो का गणना कार्य" हेतु लागत राशि रू0 981.403 लाख (रू0 नौ करोड़ एकासी लाख चालीस हजार तीन सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

1. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत केन्द्र प्रायोजित योजना – "सिंचाई गणना" के तहत "षष्टम् लघु सिंचाई योजना का गणना कार्य" एवं "जल निकायो का गणना कार्य" हेतु लागत राशि रू0 981.403 लाख (रू0 नौ करोड़ एकासी लाख चालीस हजार तीन सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. भारत सरकार, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा झारखण्ड राज्य के सभी लघु सिंचाई योजनाओं एवं सभी प्रकार के जल निकायो का गणना कार्य कराया जाना है। गणना कार्य भारत सरकार, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के द्वारा पंचवर्षीय आधार पर निर्धारित प्रासंगिक वर्ष 2017–18 एवं मार्ग निदेश के आलोक में सम्पन्न किया जाएगा।
3. षष्टम् लघु सिंचाई गणना का कार्य शत्-प्रतिशत् केन्द्र प्रायोजित योजना है। इसके अंतर्गत् राज्य के सभी गाँवों में लघु सिंचाई की सतही जल एवं भू–गर्भ जल की सभी कोटि की योजनाओं का गणना कार्य के साथ–साथ सभी प्रकार के जल निकाय (शहरी निकाय सहित) का भी गणना कार्य किया जाना है। गणना कार्य का उद्देश्य लघु सिंचाई प्रक्षेत्र की योजनाओं का डाटाबेस (Database) तैयार करना है, ताकि वास्तविक सिंचन क्षमता एवं उपयोग की जाने वाली सिंचन क्षमता के आधार पर उपलब्ध सतही एवं भू–गर्भ जल के सापेक्ष जल संसाधन विकास के संदर्भ में कार्यक्रम तैयार किया जा सके।
4. यह कार्य राज्य में उपलब्ध संसाधनों यथा, पदाधिकारियों/कर्मचारियों के माध्यम से अपने काम के अतिरिक्त दायित्व के रूप में कराया जाना है, जिस हेतु भारत सरकार द्वारा मानदेय, कार्यालय व्यय एवं आकस्मिक निधि निर्धारित एवं संसूचित है।

5. **कराए जाने वाले कार्य** एवं उन पर होने वाले व्यय की विवरणी निम्नवत् हैः–

(i) षष्टम् लघु सिंचाई योजनाओं के गणना कार्य पर होने वाले व्यय की विवरणी :–

Sl. No	Particular	No. of State District, Block, Village & their Rate of Honorarium			Amount (Rs.)
		No.	Unit	Rate (Rs.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	State	1 No.	Per State	15000.00	15000.00
2	District	24	Per District	5400.00	129600.00
3	Block	260	Per block	2640.00	686400.00
4	Field allowance	32637	Per village	750.00	24477750.00
5	Patwari Allowance	32637	Per village	250.00	8159250.00
6	Contingency	32637	Per village	240.00	7832880.00
7	Scrutiny (for 25% MI Schemes & 100% village schedule)	32637	Per village	300.00	9791100.00
8	Printing cost per schedule	32637	Per village	3.00	97911.00
		400000	Per MI Scheme	3.00	1200000.00
9	Data Entry per schedule (including validation)	32637	Per village	8.00	261096.00
		400000	Per MI Scheme	8.00	3200000.00
	Total Estimated Cost of 6th Minor Irrigation Census			**Total :-**	**55850987.00**

(ii) जल निकायो का गणना कार्यो पर होने वाले व्यय की विवरणी :–

Sl. No	Particular	No. of State, District, Block, Village & their Rate of Honorarium			Amount (Rs.)
		No.	Unit	Rate (Rs.)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	State	1 No.	Per State	3000.00	3000.00
2	District	24	Per District	1100.00	26400.00
3	Block	260	Per block	800.00	208000.00
4	Field allowance	32637	Per village	600.00	19582200.00
5	Contingency	32637	Per village	75.00	2447775.00
6	Scrutiny (25% of MI Schemes & 100% village schedule)	32637	Per village	100.00	3263700.00
7	Printing Cost per schedule	150000	Per schedule	3.00	450000.00
8	Data Entry per schedule (including validation)	150000	Per schedule	8.00	1200000.00
9	Device cost including internet charge (cost of 2 device @ 15000 & internet charge @ 500 per month for 2 month)	260	Per Block	31000.00	8060000.00
10	**Estimated cost of Census of Water Bodies**				**35241075.00**
11	**Cost of Census of Water Bodies for urban area (20% of serial no.-10)**				**7048215.00**
	Total Estimated Cost of Water Bodies				**42289290.00**

6. गणना कार्य पर होने वाला कुल व्यय :–

	Total Estimated Cost of 6th Minor Irrigation Census	-	55850987.00
	Total Estimated Cost of Water Bodies	-	42289290.00
	Total Estimated Cost of Census work	-	98140277.00
	Say	-	981.403 Lakh

7. भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के अनुसार शत्–प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित "षष्टम् लघु सिंचाई योजना का गणना कार्य" एवं "जल निकायो का गणना कार्य" प्रारम्भ करने के लिए प्रथम किस्त में कुल प्राक्कलित राशि का 40% राशि अग्रिम के रूप में भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जाएगा। द्वितीय किस्त में 40% (कुल प्राक्कलित राशि का) प्रारम्भिक गणना कार्य एवं प्रथम किस्त में आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त विमुक्त किया जाएगा। अवशेष 20% (कुल प्राक्कलित राशि का) राशि डाटा इन्ट्री कार्य पूर्ण होने, उसके Validation के पश्चात् Data एवं द्वितीय किस्त के उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भारत सरकार को प्राप्त होने पश्चात् निर्गत किया जाएगा।

8. इस कार्य पर होने वाला व्यय निम्न बजट उपबंध के अधीन भारित हो सकेगाः–

(i) बजट शीर्ष "4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–उप शीर्ष–37–रेशनलाइजेशन ऑफ माइनर इरीगेशन स्टैटिस्टिक–विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय"

(ii) बजट शीर्ष "4702–लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–लघु शीर्ष–101–सतही जल–उप शीर्ष –37–रेशनलाइजेशन ऑफ माइनर इरीगेशन स्टैटिस्टिक–विस्तृत शीर्ष–59–अन्य व्यय"

9. इस कार्य का संपूर्ण कार्यान्वयन् मार्च 2020 तक पूरा करा लिया जाएगा।

10. इस कार्य के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई रूपांकण प्रमंडल राँची / लघु सिंचाई प्रमंडल,राँची / खूंटी / लोहरदगा / गुमला / सिमडेगा / चाईबासा / जमशेदपुर / सरायकेला / मेदिनीनगर / गढ़वा / लातेहार / हजारीबाग / रामगढ़ / चतरा / कोडरमा / धनबाद / बोकारो / दुमका / साहेबगंज / पाकुड़ / गोडड़ा / जामताड़ा / गिरिडीह / लघु सिंचाई रूपांकण प्रमंडल दुमका शिविर देवघर होगें एवं मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची सह गणना आयुक्त इसके नियंत्रण पदाधिकारी होंगे।

11. इन कार्यों के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निर्देशों एंव अन्य विहित प्रक्रियाओं तथा मानको का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

12. झारखंड कोषागार संहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

13. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

14. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री,जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

15. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(राजेश कुमार वर्मा)
सरकार के अपर सचिव,

पत्रांक– 3 / पी०एम०सी० / कार्य / 193 / 2017....4218-19 पु.स्वी.... **राँची, दिनांक–**....24.12.2018

प्रतिलिपिः आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ / योजना एवं विकास विभाग (योजना प्रभाग) झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

(राजेश कुमार वर्मा)
सरकार के अपर सचिव,

पत्रांक– 3 / पी०एम०सी० / कार्य / 193 / 2017....4218-19 पु.स्वी.... **राँची, दिनांक–**....24.12.2018

प्रतिलिपिः संबंधित कोषागार, पदाधिकारी, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

(राजेश कुमार वर्मा)
सरकार के अपर सचिव,

पत्रांक– 3/पी०एम०सी०/कार्य/193/2017 4218-19 प्र.खं. राँची, दिनांक– 24.12.2018

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल–3/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका/सभी अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, एवं प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

(राजेश कुमार वर्मा)
सरकार के अपर सचिव,

पत्रांक– 3/पी०एम०सी०/कार्य/193/2017 4218-19 प्र.खं. राँची, दिनांक– 24.12.2018

प्रतिलिपिः सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

(राजेश कुमार वर्मा)
सरकार के अपर सचिव,

पत्रांक– 3/पी०एम०सी०/कार्य/193/2017 4218-19 प्र.खं. राँची, दिनांक– 24.12.2018

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री महोदय, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(राजेश कुमार वर्मा)
सरकार के अपर सचिव,

पत्रांक– 3/पी०एम०सी०/कार्य/193/2017 4218-19 प्र.खं. राँची, दिनांक– 24.12.2018

प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर Upload करने हेतु प्रेषित।

(राजेश कुमार वर्मा)
सरकार के अपर सचिव,